संख्या- 08-2022-डीएफए-358586-38-7002-003-1-2021

प्रेषक,

हरी राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2022

विषय- मनरेगा के य सहायता स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 सोशल आडिट यूनिट के संचालन हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-755/सो0आ0नि0/101(2मनरेगा)/2020 दिनांक 21-11-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित रा य ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या- जे-14037/04/2022-आरई-।(380065) एसएल.नं0 16, दिनांक: 15-11-2022 द्वारा सोशल आडिट यूनिट के संचालन हेतु निर्गत की गयी प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 21,03,27,000/- (रूपये इक्कीस करोड़ तीन लाख सत्ताइस हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा। साथ ही वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक: 07-06-2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी। कोषागार से धनराशि के आहरण करने पर मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि आहरित कर सोशल आडिट निदेशालय के लखनऊ स्थित निम्न बैंक एकाउण्ट में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रसं0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी कोड
1	PUNJAB NATIONAL BANK, PCF BUILDING, LUCKNOW	DIRECTOR, SOCIAL AUDIT, UP	4740000100017558	PUNB 0474000

http://sharadesh.up.gov.in

4. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-रा य ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0202-सोशल आडिट" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

हरी राम
संयुक्त सचिव।

संख्या- 08-2022-डीएफए-358586-38-7002-003-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री संजय कुमार, उप सचिव(एमजीनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. राज्य योजना आयोग-1/2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in